रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102026-277156
CG-DL-E-14102026-277156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 811]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948
No. 811]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 882(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद मूल नियमों के रूप में उल्लिखित) के नियम 115 में, उप-नियम (22) के पश्चात, एक नया उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

23 (ii) श्रेणी एम2, एम3, एन2 और एन3 वाहनों के लिए भारत स्टेज VII (बीएस-VII) के लिए उत्सर्जन मानक

तालिका 1: 1 अप्रैल 2031 को या उसके बाद निर्मित एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणी के वाहनों के सभी मॉडलों के लिए भारत स्टेज VII (बीएस-VII) के लिए उत्सर्जन मानक

	प्रदूषक का उत्सर्जन	डब्ल्यूएचएससी (सीआई) और डब्ल्यूएचटीसी (सीआई और पीआई)	वास्तविक ड्राईविंग उत्सर्जन (आरडीई)
		प्रति किलोवाट घंटा	प्रति किलोवाट घंटा
	(1)	(2)	(3)
(1)	नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एनओएक्स मिलीग्राम में	200	260
(2)	पार्टिकुलेट मैटर, पीएम मिलीग्राम में	8	-
(3)	पार्टिकुलेट संख्या, पीएन10 # में	6×1011	9×1011
(4)	कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ मिलीग्राम में	1500	1950
(5)	गैर-मीथेन ऑरगैनिक गैस, एनएमओजी मिलीग्राम में	80	105
(6)	अमोनिया, एनएच$_3$ मिलीग्राम में	60	85
(7)	मीथेन, सीएच$_4$ मिलीग्राम में	500	650
(8)	नाइट्रस ऑक्साइड, एन$_2$ओ मिलीग्राम में	200	260
(9)	फॉर्मेल्डिहाइड, एचसीएचओ मिलीग्राम में	आरक्षित	आरक्षित

पीआई - घनात्मक प्रज्वलन; सीआई - संपीड़न प्रज्वलन; डब्ल्यूएचएससी- वर्ल्ड हार्मोनाइज्ड स्टेशनरी साइकिल; डब्ल्यूएचटीसी- वर्ल्ड हार्मोनाइज्ड ट्रैन्शन्ट साइकिल

तालिका 2: परीक्षण प्रयोज्यता तिथियां

लागूता तिथि	टीए, सीओपी और आईएससी के दौरान परीक्षण अपेक्षाओं का अनुप्रयोग				ब्रेक पार्टिकल उत्सर्जन सीमा	बैटरी स्थायित्व के लिए न्यूनतम प्रदर्शन अपेक्षाएं (एमपीआर)	टायर उत्सर्जन सीमा
	सड़क परीक्षण में गैसीय प्रदूषक और पीएन	गैसीय प्रदूषक, पीएम, पीएन और सीओ$_2$ उत्सर्जन, ईंधन की खपत (डब्ल्यूएचटीसी और डब्ल्यूएचएससी)	ओबीडी+ओबीएम+ओबीएफसीएम	ईवीपी			
1 अप्रैल 2031 **(चरण-I)**	✓	✓	✓ ओबीडी+ओबीएम-I (केवल ओबीडी पोर्ट पर)+ओबीएफसीएम-I (केवल ओबीडी पोर्ट पर)	✓	--	--	--

1 अप्रैल 2033 **(चरण-II)**	✓	✓	✓ ओबीएम-II (ओवर द एयर) + ओबीएफसीएम- (ओवर द एयर)	✓	✓ पीएम और पीएन सीमा पावर ट्रेन पर आधारित हैं	✓	--
1 अप्रैल 2035 **(चरण-III)**	✓	✓	✓	✓	✓ पीएम और पीएन सभी पावर ट्रेन के लिए एकल सीमा निर्धारित करते हैं	✓	✓

टीए-प्रकार (टाईप) अनुमोदन; **सीओपी**-उत्पादन की अनुरूपता; **आईएससी**-इन-सर्विस अनुरूपता; **ओबीडी**-ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स; **ओबीएम**-ऑन-बोर्ड निगरानी; **ओबीएफसीएम**-ऑन-बोर्ड ईंधन खपत निगरानी; **ईवीपी**-पर्यावरण वाहन पासपोर्ट;

तालिका 3क: श्रेणी एम2, एम3, एन2 और एन3 के वाहनों के लिए टाईप-अनुमोदन और टाईप-अनुमोदन के विस्तार के लिए परीक्षण अपेक्षाओं और घोषणाओं का अनुप्रयोग

परीक्षण अपेक्षाएँ	उत्सर्जन टाईप-अनुमोदन के लिए परीक्षण और अपेक्षाएँ	उत्पादन की अनुरूपता पर परीक्षण	इन-सर्विस अनुरूपता पर परीक्षण
प्रत्येक ईंधन और लागू वाहन श्रेणियों (एम2, एम3, एन2 और एन3) के लिए सड़क परीक्षण (आरडीई) में गैसीय प्रदूषक और पीएन	सभी ईंधनों के लिए आवश्यक प्रदर्शन परीक्षण जिनके लिए प्रति वाहन प्रकार के लिए टाईप-अनुमोदन दिया जाना है और सभी ईंधनों, सभी पेलोड और सभी लागू वाहन श्रेणियों (**) के लिए अनुपालन की घोषणा	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित (***)
गैसीय प्रदूषक, पीएम, पीएन और सीओ$_2$ उत्सर्जन, ईंधन की खपत (डब्ल्यूएचटीसी और डब्ल्यूएचएससी)	इंजन श्रेणी के मूल इंजन पर आवश्यक और सभी श्रेणी के सभी इंजनों के लिए घोषणा (*); (**)	इंजन श्रेणी के सभी इंजन पर अपेक्षित (**)	अपेक्षित नहीं
सीओ$_2$ उत्सर्जन, ईंधन और विद्युत ऊर्जा की खपत, शून्य-उत्सर्जन और वाहन***** की इलेक्ट्रिक रेंज का निर्धारण	ऊर्जा दक्षता उपकरण सिमुलेशन उपकरण संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी करना; घटक प्रमाणपत्र जारी करना	घटकों के लिए	अपेक्षित नहीं
सत्यापन परीक्षण प्रक्रिया	अपेक्षित नहीं	आवश्यक	अपेक्षित नहीं
क्रैंककेस उत्सर्जन	क्लोज्ड क्रैंककेस प्रणाली या टेलपाइप में रूटिंग की स्थापना की जाँच करना	क्लोज्ड क्रैंककेस प्रणाली या टेलपाइप में रूटिंग की स्थापना की जाँच करना	अपेक्षित नहीं
उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व	घोषणा	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित
उपभोज्य अभिकर्मक और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करके प्रणालियों का संचालन	अपेक्षित	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं
बैटरी का टिकाऊपन	घोषणा	अपेक्षित नहीं	आवश्यक
शक्ति निर्धारण	आवश्यक (**)	आवश्यक (**)	अपेक्षित नहीं
ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (ओबीडी श्रेणी स्तर)	प्रदर्शन-	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

ऑन-बोर्ड निगरानी (ओबीएम श्रेणी स्तर)	घोषणा और प्रदर्शन	अपेक्षित नहीं	आवश्यक
ओबीएफसीएम (ईंधन और विद्युत ऊर्जा खपत के ऑन-बोर्ड मापन के साथ-साथ पेलोड)	अपेक्षित	अपेक्षित	अपेक्षित
एंटी-टैम्परिंग, सुरक्षा और साइबर सुरक्षा	घोषणा और प्रलेखन (**)	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं
जियोफेंसिंग प्रौद्योगिकियां (जहां लागू हो)	घोषणा और प्रदर्शन	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

(*) सभी पावर रेटिंग के इंजन परीक्षण के डेटा द्वारा समर्थित।

(**) उत्सर्जन टाईप-अनुमोदित इंजन प्रणाली वाले वाहन के मामले में, इंजन निर्माता इस परीक्षण में वाहन के अनुपालन कार्य के लिए उत्तरदायी है (इंजन एक अलग तकनीकी इकाई के रूप में टाईप-अनुमोदित है)।

(***) उत्सर्जन टाईप-अनुमोदित इंजन प्रणाली वाले वाहन के मामले में, वाहन निर्माता के साथ सहमति होने पर इस परीक्षण में वाहन के अनुपालन कार्य के लिए इंजन निर्माता उत्तरदायी है।

(****) सिमुलेशन टूल का उपयोग करके सीओ$_2$ और ईंधन की खपत के लिए प्रावधान अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

घोषणा, प्रलेखन और प्रदर्शन अपेक्षाओं का विस्तृत विवरण समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस-215 में दिया जाएगा।

तालिका 3ख: टाइप-अनुमोदन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं की प्रयोज्यता

				धनात्मक (पॉजिटिव) प्रज्वलन इंजन					**संपीड़न प्रज्वलन इंजन**				**दोहरा(ड्यूल) फ्यूल इंजन**	पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				एकल ईंधन (मोनो-फ्यूल)			**फ्लेक्स ईंधन**	**फ्लेक्स ईंधन**	**मोनो फ्यूल**			**फ्लेक्स ईंधन**		—	**हाइड्रोजन (ईंधन सेल)**
रेफरन्स ईंधन	**गैसोलिन (ई10)/ (ई20) (6)**	**एथेनॉल (ई100)/ मेथनॉल एम100**	**एलपीजीगैस**	**सीएनजी/बायो-मीथेन/बायोगैस/एलएनजी**	**हाइड्रोजन (आईसीई)**	**एचसीएनजी (हाइड्रोजन + सीएनजी)**	**एथेनॉल (ई20)** **(ई85)/** (ई100)	**मेथनॉल (एम15)** **(एम85)/** (एम100)	**डीज़ल (बी7)**	**बायोडीजल 100%**	**एथेनॉल (ईडी 95)**	**बायो-डीजल (बी7)** **(बी100) (1)**	**डीजल (बी7) + (सीएनजी/एलएनजी)** (2)		
गैसीय प्रदूषक	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ (2)	--	--
कण द्रव्यमान	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ (2)	--	--
पीएम संख्या	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ (2)	--	--
निष्क्रिय उत्सर्जन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	--	--
क्रैंककेस उत्सर्जन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	--	--
इन सर्विस कंफर्मिटी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ	हाँ	हाँ	हां (केवल बी7 के लिए)	हाँ (2)	--	--
ओबीडी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ (2)	--	--
सीओ2 उत्सर्जन और विद्युत ऊर्जा खपत, शून्य उत्सर्जन और वाहनों की विद्युत सी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

मा का निर्धारण															
आरडीई गैसीय और पीएन10 के लिए प्रदर्शन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ (2)		
इंजन/मोटर पावर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ओबीएम	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	--	--
ओबीएफसीएम (ऑन-बोर्ड ईंधन खपत और विद्युत खपत, साथ ही पेलोड)	हाँ	हाँ	--	--	--	--	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	--	हाँ	हाँ
बैटरी स्थायित्व	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	हाँ	हाँ
ऑफ साईकल उत्सर्जन (डब्ल्यूएनटीई)	---	---	---	---	---	---	---	---	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ (2)	--	--

शीर्षकों के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-

1. 7 प्रतिशत तक बायो डीजल मिश्रण से चलने वाले वाहनों या इंजनों का परीक्षण संदर्भ डीजल (बी7) के साथ किया जाएगा और 7 प्रतिशत से अधिक बायो डीजल मिश्रण से चलने वाले वाहनों का परीक्षण संबंधित मिश्रणों के साथ किया जाएगा।
2. ड्यूल फ्यूल इंजन के लिए परीक्षण की प्रयोज्यता संबंधी अपेक्षाएं वर्ल्ड हार्मोनाइज्ड ट्रांजिएंट साइकिल (डब्ल्यूएचटीसी) परीक्षण चक्र के गर्म भाग पर मापे गए गैस ऊर्जा अनुपात (जीईआर) पर निर्भर करती हैं। जीईआर का वर्गीकरण समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस: 215 भाग 2 के अनुसार होगा।

तालिका 4: 1 अप्रैल 2033 को या उसके बाद निर्मित एम2, एन2, एम3 और एन3 श्रेणियों के वाहनों के लिए ब्रेक जनित कण उत्सर्जन सीमाएँ

उत्सर्जन सीमा	**वाहनों का श्रेणियाँ एम2 और एन2, एम3 और एन3**				
पावरट्रेन प्रौद्योगिकी	पीईवी	ओवीसी-एचईवी	नोवसी-एचईवी	एफसीवी/एफसीएचवी	आईसीईवी
ब्रेक जनित कण उत्सर्जन (पीएम10)	*	*	*	*	*
ब्रेक जनित कण संख्या उत्सर्जन (पीएन)	*	*	*	*	*

*ब्रेक पार्टिकल उत्सर्जन सीमाएँ, पार्टिकुलेट मास (पीएम10) और पार्टिकल नंबर (पीएन) अलग से अधिसूचित की जाएंगी।

तालिका 5: ब्रेक सिस्टम के प्रकार-अनुमोदन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं की प्रयोज्यता

परीक्षण अपेक्षाएं	**परीक्षण और अपेक्षाएं के लिए उत्सर्जन प्रकार -अनुमोदन**	**उत्पादन की अनुरूपता पर परीक्षण**	**सेवाकालीन अनुरूपता परीक्षण**
	परीक्षण एजेंसी	परीक्षण एजेंसी	परीक्षण एजेंसी
ब्रेक साइकिल ब्रेक प्रणाली उत्सर्जन पर परीक्षण	अपेक्षित	लेखापरीक्षा /वैकल्पिक परीक्षण	अपेक्षित

तालिका 6: न्यूनतम प्रदर्शन अपेक्षाएं (एमपीआर) के लिए बैटरी स्थायित्व हेतु वाहनों का श्रेणियाँ एम2, एम3, एन 2 और एन31 अप्रैल 2033 को या उसके बाद निर्मित

बैटरी ऊर्जा आधारित एमपीआर	वाहनों में मुख्य लाईफटाईम (**)	वाहनों में अतिरिक्त लाईफटाईम (**)
ओवीसी-एचईवी	*	*
पीईवी	*	*

(*) बैटरी स्थायित्व के लिए न्यूनतम प्रदर्शन आवश्यकताएँ (एमपीआर) अलग से अधिसूचित की जाएंगी।

(**) तालिका 11 में निर्दिष्ट अनुसार।

तालिका 7: 1 अप्रैल 2035 को या उसके बाद निर्मित एम 2, एन2, एम3 और एन3 श्रेणियों के सभी मॉडलों के वाहनों के लिए ब्रेक कण उत्सर्जन सीमाएँ

उत्सर्जन सीमा	वाहनों का श्रेणियाँ एम2 और एम3	वाहनों का श्रेणियाँ एन2 और एन3
ब्रेक कण उत्सर्जन (पीएम10)	*	*
ब्रेक कण संख्या उत्सर्जन (पीएन)	*	*

*ब्रेक पार्टिकल उत्सर्जन सीमाएँ, पार्टिकुलेट मास (पीएम 10) और पार्टिकल नंबर (पीएन) अलग से अधिसूचित की जाएंगी।

तालिका 8: 1 अप्रैल 2035 को या उसके बाद निर्मित वाहन श्रेणियों एम2, एन2, एम3 और एन3 के लिए सी2 और सी3 टायरों की घर्षणसीमाएँ।

टायर घर्षणसीमाएँ	सी2 टायर	सी3 टायर
सामान्य टायर	*	*

*टायर घर्षणसीमा की सूचना अलग से दी जाएगी।

तालिका 9: सी2 और सी3 टायरों के प्रकार-अनुमोदन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं की प्रयोज्यता

परीक्षा अपेक्षाएं	परीक्षण और अपेक्षाएं के लिए टाइप-अनुमोदन	उत्पादन अनुरूपता पर परीक्षण	सेवाकालीन अनुरूपता पर परीक्षण
टायर घर्षणपरीक्षण	*	*	*

*टाइप अनुमोदन सी2 और सी3 टायरों के लिए परीक्षण प्रयोज्यता संबंधी अपेक्षाओं को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

टिप्पणियाँ:

1. वाहनों को इस प्रकार डिजाइन, निर्मित और एकत्रित किया जाएगा जिससे उनके जीवन-चक्र के सभी चरणों में उत्पन्न होने वाली कमजोरियों को कम से कम किया जा सके, जो ईंधन और अभिकर्मक इंजेक्शन प्रणाली, इंजन और इंजन नियंत्रण इकाई, कर्षण बैटरी और संबंधित प्रबंधन प्रणालियों, ओडोमीटर, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, इलेक्ट्रिक मोटर और संबंधित नियंत्रण इकाइयों, ओबीएफसीएम उपकरणों, ओबीडी प्रणाली, ओबीएम प्रणाली और ईवीपी में छेड़छाड़ का कारण बन सकती हैं।

2. श्रेणी एम2, एम3, एन2, एन3 के वाहनों के निकास उत्सर्जन सीमाओं के अनुपालन का परीक्षण करने की प्रक्रिया, संदर्भ ईंधन और स्नेहक (निर्माता द्वारा जारी विनिर्देशों के भीतर) के साथ, निम्नानुसार होगी।

क. संपीड़न प्रज्वलन इंजन के लिए निकास उत्सर्जन परीक्षण डब्ल्यूएचएससी और डब्ल्यूएचटीसी का उपयोग करके और धनात्मक प्रज्वलन इंजन के लिए केवल डब्ल्यूएचटीसी का उपयोग करके, एआईएस-215-भाग 2 में समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

ख. सड़क पर किए जाने वाले आरडीई परीक्षणों के लिए, परीक्षण प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित एआईएस-215-भाग 2 के अनुसार होगी। लागू सीमाएँ तालिका 1 में दी गई आरडीई सीमाएँ होंगी।

3. विनिर्माण और परीक्षण एजेंसी के लिए टाइप अनुमोदन, उत्पादन की अनुरूपता और सेवाकालीन अनुपालन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं का अनुप्रयोग तालिका 3 के अनुसार होगा और समय-समय पर संशोधित एआईएस-215-भाग 2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

4. जिन वाहनों में जियोफेंसिंग तकनीक से लैस आंतरिक दहन इंजन लगे हों, उन्हें निर्माता 'बीएस-वीआईआई-जी' श्रेणी के वाहनों के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। जियोफेंसिंग तकनीक के उपयोग को टाइप-अप्रूवल के दौरान मान्यता देने वाली एजेंसी को प्रदर्शित किया जाना चाहिए और वाहन के जीवनकाल के दौरान एआईएस-215-भाग 2 में समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित किया जाना चाहिए।

5. उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) के उद्देश्य से मानदंडों में कोई छूट नहीं दी जाएगी और अनुपालन की प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित एआईएस-215 भाग 6 के अनुसार होगी।

6. उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) की आवृत्ति और नमूने निम्नानुसार होंगे: -

(i) प्रत्येक इंजन मॉडल और उसके वेरिएंट के लिए उत्पादन अवधि की अनुरूपता वर्ष में एक बार होगी।

(ii) जहां छह माह में उत्पादन मात्रा प्रति मॉडल 250 से कम है, जिसमें इसके वेरिएंट भी शामिल हैं, वहां एआईएस 215 पार्ट-6 में निहित प्रावधान लागू होंगे।

7. तालिका 1 में उल्लिखित सीमाएं निम्नलिखित ईंधनों में से किसी भी ईंधन से चलने वाले वाहनों पर लागू होंगी:

-
    - मोनोफ्यूल सीएनजी, बायो-सीएनजी/बायो-मीथेन, बायो-गैस, एलएनजी, एलपीजी, एचसीएनजी, डीजल (बी7), गैसोलीन ई20, इथेनॉल मोनोफ्यूल, हाइड्रोजन, मेथनॉल मोनोफ्यूल
    - फ्लेक्स फ्यूल वाहन जो ई20 से ई85, एम15 से एम85/एम100, इथेनॉल (ईडी95), 100% तक बायो-डीजल मिश्रण से चलते हैं।
    - डीजल और सीएनजी, बायोगैस, बायो-सीएनजी/बायो-मीथेन या एलएनजी में से किसी भी ईंधन से चलने वाले दोहरे ईंधन वाले इंजन।
    - पेट्रोल और सीएनजी/बायो-सीएनजी/बायो-मीथेन/बायो-गैस/एलएनजी/एलपीजी में से किसी अन्य ईंधन से चलने वाले द्वि-ईंधन इंजन।

उत्पादन की गुणवत्ता और अनुरूपता के लिए, परीक्षण ईंधन नीचे निर्दिष्ट संदर्भ ईंधन या वाणिज्यिक ईंधन होगा।

8. रेफरेंस (संदर्भ) ईंधनों के लिए विशिष्टताएँ निम्न प्रकार हैं: -

क. संदर्भ प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस या बायो-मीथेन मोनो-फ्यूल या बाई-फ्यूल वाहनों में प्रयुक्त ईंधन, अनुलग्नक IV-एल (जी20, जी23 और जी25) के अनुसार होगा।

ख. एलपीजी मोनो-फ्यूल या बाई-फ्यूल वाहनों में प्रयुक्त संदर्भ एलपीजी ईंधन अनुलग्नक IV एम (ईंधन ए और ईंधन बी) के अनुसार होगा। तथापि, सीएनजी/एलपीजी के लिए संदर्भ ईंधन उपलब्ध न होने की स्थिति में, समय-समय पर संशोधित बीआईएस 15958:2012 के अनुसार व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सीएनजी और बीआईएस 14861:2000 के अनुसार एलपीजी का उपयोग टाइप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

ग. संदर्भ इथेनॉल ईंधन (ईडी95) का विवरण अनुलग्नक IV-आर में दिया गया है।

घ. संदर्भ डीजल ईंधन (बी7) अनुलग्नक IV-टी में निर्दिष्टानुसार होगा।

ङ. संदर्भ ईंधन बायोगैस (बायो-मीथेन) आईएस 16087:2020 के अनुसार और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुरूप होगा।

च. अनुलग्नक IV-डब्ल्यू में निर्दिष्ट 'बीएस-VII पॉजिटिव इग्निशन इंजन के लिए हाइड्रोजन' ही संदर्भ ईंधन होगा।

छ. संदर्भ ईंधन हाइड्रोजन संवर्धित संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) आईएस 17314:2019 और समय-समय पर संशोधित के अनुसार होगा।

ज. संदर्भ ई20 ईंधन (गैसोलीन में 20 प्रतिशत इथेनॉल) आईएस 17943: 2022 और बीआईएस द्वारा समय-समय पर संशोधित के अनुसार होगा।

झ. संदर्भ ई85 ईंधन (गैसोलीन में 85 प्रतिशत इथेनॉल) अनुलग्नक IV-क्यू के अनुसार होगा। (मानक संख्या बीआईएस द्वारा बनाई और निर्दिष्ट की जाएगी)।

ञ. संदर्भ बी100 ईंधन अनुलग्नक IV-एस और समय-समय पर संशोधित के अनुसार होगा। (मानक संख्या बीआईएस द्वारा बनाई और निर्दिष्ट की जाएगी)।

ट. यदि वाहनों में इथेनॉल का उपयोग एकल ईंधन के रूप में किया जाता है, तो टाइप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता के प्रयोजन के लिए समय-समय पर संशोधित आईएस17821:2022 के अनुसार व्यावसायिक रूप से उपलब्ध इथेनॉल ईंधन का उपयोग किया जाएगा।

ठ. मेथनॉल से चलने वाले वाहनों के लिए संदर्भ ईंधन विनिर्देश, जहां लागू हो, अनुलग्नक IV-वाई, अनुलग्नक IV-जेड, अनुलग्नक IV-जेडए और अनुलग्नक IV-जेडबी के अनुसार होंगे।

9. वाणिज्यिक ईंधनों के लिए विनिर्देश निम्नानुसार होंगे: -

क. वाणिज्यिक गैसोलीन ईंधन अनुलग्नक IV-यू और समय-समय पर संशोधन के अनुसार होगा।

ख. वाणिज्यिक सीएनजी और वाणिज्यिक एलपीजी के लिए विनिर्देश क्रमशः बीआईएस 15958:2012 और बीआईएस 14861:2000 और समय-समय पर संशोधन के अनुसार होंगे।

ग. वाणिज्यिक डीजल में प्रयुक्त बायोडीजल समय-समय पर संशोधित आईएस 15607 के अनुसार होगा।

घ. 7% तक बायो डीजल मिश्रण वाले वाणिज्यिक डीजल ईंधन के लिए विनिर्देश अनुलग्नक IV-वी और समय-समय पर संशोधन के अनुसार होंगे।

ङ. वाणिज्यिक ईडी95 के लिए विनिर्देश भारतीय मानक के अनुसार होंगे, जिन्हें समय-समय पर बीआईएस द्वारा संशोधित किया जाता है। तब तक, अनुलग्नक-IV आर के अनुसार विनिर्देशों को पूरा करने वाले ईंधन का उपयोग किया जा सकता है।

च. वाणिज्यिक बायोगैस (बायो-मीथेन) के लिए विनिर्देश आईएस 16087:2013 और समय-समय पर संशोधित के अनुसार होंगे।

छ. वाणिज्यिक हाइड्रोजन संवर्धित संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) के लिए विनिर्देश आईएस 17314:2019 और समय-समय पर संशोधन के अनुसार होंगे।

ज. वाणिज्यिक ईंधन ई20 (गैसोलीन में 20 प्रतिशत इथेनॉल) के लिए विनिर्देश आईएस 17021: 2018 और समय-समय पर बीआईएस द्वारा संशोधन के अनुसार होंगे।

झ. वाणिज्यिक इथेनॉल ईंधन ई85 (गैसोलीन में 85 प्रतिशत इथेनॉल) के लिए विनिर्देश आईएस 16634:2017 और समय-समय पर बीआईएस द्वारा संशोधन के अनुसार होंगे।

ञ. वाणिज्यिक इथेनॉल मोनो-फ्यूल के लिए विनिर्देश आईएस 17821:2022 और समय-समय पर संशोधन के अनुसार होंगे।

ट. वाणिज्यिक हाइड्रोजन ईंधन के विनिर्देश बीआईएस द्वारा समय-समय पर संशोधित आईएस 16061: 2021 के अनुसार होंगे।

ठ. मिश्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले मेथनॉल के वाणिज्यिक ईंधन विनिर्देश समय-समय पर संशोधित आईएस 17075: 2019 के अनुसार होंगे।

ड. एम15 ईंधन के लिए वाणिज्यिक ईंधन विनिर्देश आईएस 17076 : 2019 के अनुसार होंगे।

10. इंजन की शक्ति का मापन इंजन डायनेमोमीटर पर किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित एआईएस-215-पार्ट 5 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार परीक्षण किए जाने पर मापी गई शक्ति निर्दिष्ट शक्ति के अनुरूप होनी चाहिए।

11. निष्क्रिय उत्सर्जन और कण संख्या संबंधी अपेक्षाएं निम्नानुसार होंगी: -

क. इस उप-नियम में निर्दिष्ट पीआई इंजन से सुसज्जित वाहन को निम्नलिखित सीमाओं का अनुपालन करना होगा।

तालिका 10: पीआई इंजनों के लिए खाली चलने (आइडल) पर उत्सर्जन सीमाएं

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	आइडल उत्सर्जन सीमाएं		उच्च आइडल उत्सर्जन सीमा (आरपीएम 2500+/- 200)	
		कार्बन मोनोऑक्साइड (CO%	एचसी (एन-हेक्सेन समतुल्य) पीपीएम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गैसोलीन के अलावा श्रेणी एम और एन के पीआई इंजन	0.3	200	-	-
2	श्रेणी एम और एन के गैसोलीन युक्त पीआई इंजन	0.3	200	0.2	1+/-0.03 या विनिर्माता के घोषणानुसार

ख. संपीड़न प्रज्वलन (सीआई) इंजन और कण (पार्टिकुलेट) निरोधक फिल्टर लगे वाहनों के मामले में, पार्टिकुलेट संख्या सांद्रता (#/से.मी.^{3} में) को आइडल अवस्था में समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215 (भाग 8) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मापा जाएगा। मापी गई पार्टिकुलेट संख्या की सांद्रता 1.0×10^6 पार्टिकल/से.मी.^{3} से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. गिरावट के कारक

क. वाहन विनिर्माता, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 2 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार, वाहन के जीवनकाल में विभिन्न प्रदूषकों के लिए क्षरण कारकों का मूल्यांकन करेंगे।

ख. वैकल्पिक रूप से, विनिर्माता समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 2 में निर्दिष्ट निश्चित क्षरण कारकों के विकल्प चयन कर सकते हैं:

11. इस उप-नियम में निर्दिष्ट वाहनों के लिए, वाहन के पूरे जीवनकाल के दौरान सेवाकालीन अनुरूपता (इन-सर्विस कॉनफरमिटी) की जांच की जाएगी। वाहनों की जीवनकाल संबंधी अपेक्षाएं नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी:

तालिका 11: वाहन के इंजन और प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली का जीवनकाल

वाहनों, इंजनों और प्रतिस्थापन प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का जीवनकाल	**एम2**	**एन2, एन3≤16 टी (*),एम3≤7.5 टी (*)**	**एन3>16 टी (*),एम3>7.5 टी (*)**
प्राथमिक जीवनकाल	160 000 किमी तक या 8 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आए	300 000 किमी या 8 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आए	700 000 किमी या 12 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आए
अतिरिक्त जीवनकाल	प्राथमिक जीवनकाल के बाद और 200 000 किमी तक या 10 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आए	प्राथमिक जीवनकाल के बाद और 375 000 किमी तक या 10 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आए	प्राथमिक जीवनकाल के बाद और 875,000 किमी तक या 15 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आए
अतिरिक्त जीवनकाल के लिए स्थायित्व गुणक	गैसीय प्रदूषकों के लिए 1.2	**	**

(*) जीवीडब्ल्यू.

(**) अतिरिक्त जीवनकाल के लिए स्थायित्व गुणक को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

14. टाइप अनुमोदन और आईएससी के दौरान पीईएमएस परीक्षण

क. टाइप अनुमोदन के दौरान, पीईएमएस का उपयोग करने वाले वाहनों पर आरडीई उत्सर्जन का माप सड़क पर समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 2 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

ख. आरडीई पीईएमएस क्षरण परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला टाइप अनुमोदन वाहन, इंजन सिस्टम को संस्थापित करने हेतु नियत वाहन श्रेणी का प्रतिरूप होना चाहिए। यह वाहन प्रोटोटाइप वाहन या अनुकूलित (अडेप्टेड) उत्पादन वाहन हो सकता है।

ग. टाइप अनुमोदन के लिए आरडीई पीईएमएस प्रदर्शन परीक्षण हेतु लागू सीमाएं तालिका 1 में दी गई आरडीई सीमाएं होंगी।

घ. समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वाहन के पूरे जीवनकाल में सेवाकालीन (इन-सर्विस) अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य जीवनकाल के लिए तालिका 1 में दी गई आरडीई सीमाएं लागू होंगी और अतिरिक्त जीवनकाल के लिए तालिका 11 में उल्लिखित स्थायित्व गुणक लागू होगा।

15. इस उप-खंड में निर्दिष्ट वाहनों को समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 2 में दी गई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑफ-साइकिल प्रयोगशाला परीक्षण का अनुपालन करना होगा।

16. इस उप-खंड में निर्दिष्ट इंजन लगे वाहन, जो उत्सर्जन को कम करने के लिए अभिकर्मक रीएजेंट) के उपयोग पर निर्भर करते हैं, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभिकर्मक प्रणाली (रीएजेंट सिस्टम) के सही संचालन को सुनिश्चित करेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने वाला रीएजेंट अभिकर्मक एयूएस -32 (जलीय यूरिया विलयन) का विनिर्देश आईएसओ 22241-2006 के भाग 1 और भाग 2 या डीआईएन बी 70070 या आईएस:17042: भाग 1 और भाग 2: 2020 के अनुरूप होना चाहिए।

17. इस उप-नियम में निर्दिष्ट वाहनों में उत्सर्जन नियंत्रण के लिए एक ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम लगा होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहीत फॉल्ट कोड के माध्यम से खराबी के संभावित क्षेत्र की पहचान करने और एआईएस-215-भाग 2 (समय-समय पर यथा संशोधित) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उस जानकारी को ऑफ-बोर्ड संचारित करने की क्षमता होनी चाहिए।

18. इस उप-नियम में निर्दिष्ट वाहनों में ऑन-बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (ओबीएम) लगा होना अनिवार्य है, जो नाईट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया और पार्टिकूलेट मैटर के सभी उत्सर्जन की निगरानी और उसे दर्ज करने में सक्षम हो तथा संबंधित उत्सर्जन सीमा से कम से कम 2.5 गुना अधिक उत्सर्जन का पता लगा सके। 1 अप्रैल 2031 या उसके बाद विनिर्मित वाहनों के लिए ओबीएम डेटा ओबीडी पोर्ट पर उपलब्ध होगा। 1 अप्रैल 2033 या उसके बाद विनिर्मित वाहनों के लिए ओबीएम डेटा ओबीडी पोर्ट पर और ओवर द एयर उपलब्ध होगा। टाइप अनुमोदन के समय एआईएस-215-भाग 2 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ओबीएम के कार्य प्रदर्शन को मापा जाएगा।

19. इस उप-नियम में निर्दिष्ट वाहनों में ऑन-बोर्ड ईंधन और विद्युत ऊर्जा खपत निगरानी प्रणाली (ओबीएफसीएम) लगी होनी चाहिए, जो वास्तविक ईंधन और विद्युत ऊर्जा खपत तथा अन्य प्रासंगिक मापदंडों की निगरानी करने में सक्षम हो, जिनकी आवश्यकता वास्तविक ईंधन और ऊर्जा दक्षता निर्धारित करने के लिए होती है। 1 अप्रैल 2031 को या उसके बाद विनिर्मित वाहनों के लिए ओबीएम डेटा ओबीएफसीएम पोर्ट पर उपलब्ध होना चाहिए। 1 अप्रैल 2033 को या उसके बाद विनिर्मित वाहनों के लिए ओबीएफसीएम डेटा ओबीडी पोर्ट पर और अज्ञात रूप से ओवर द एयर उपलब्ध होना चाहिए। टाइप अनुमोदन के समय एआईएस-215-भाग 2 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ओबीएफसीएम का प्रदर्शन मापा जाना चाहिए।

20. इस उप-नियम में निर्दिष्ट वाहनों के लिए, वाहन प्रयोक्ताओं को अनुरूपता प्रमाण पत्र और टाइप-अनुमोदन दस्तावेज़ के साथ एक पर्यावरण वाहन पासपोर्ट (ईवीपी) उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन प्रयोक्ताओं को ईंधन खपत, ट्रैक्शन बैटरी की स्थिति, प्रदूषक उत्सर्जन और ऑन-बोर्ड सिस्टम तथा मॉनिटर द्वारा उत्पन्न अन्य प्रासंगिक जानकारी तक भी सुलभता उपलब्ध होगी। ईवीपी को वाहन में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाएगी।

21. ब्रेक पार्टिकल उत्सर्जन सीमा के अनुपालन के परीक्षण की प्रक्रिया, ब्रेक उत्सर्जन संबंधी समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 4 के अनुसार होगी।

22. टायर घर्षण सीमा के अनुपालन के परीक्षण की प्रक्रिया समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 8 के अनुसार होगी।

23. बैटरी स्थायित्व के लिए न्यूनतम निष्पादन अपेक्षाओं (एमपीआर) की अपेक्षाएं समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 10 के अनुसार होंगी।

24. सीएनजी/बायो-मीथेन/एचसीएनजी वाहन, सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 024, एआईएस-028 संशोधन 1 के अनुसार पूरा करेंगे।
25. हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले आईसी इंजन वाले वाहनों को सुरक्षा अपेक्षाओं को समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 195 के अनुसार पूरा करना होगा।
26. वाहन निर्माता द्वारा 20% से अधिक इथेनॉल ईंधन के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता को परिभाषित किया जाएगा और इसे समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-171:2021 के अनुसार स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले लेबल द्वारा वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा।
27. अनधिकृत बदलाव को रोकने और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 2 के अनुसार होंगी।
28. साइबर सुरक्षा और ऑन द एयर सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं सीएमवीआर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएंगी।

[फा.सं. आरटी-11036/26/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 889(अ), दिनांक 16 सितंबर, 2020 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या …….. दिनांक…………. के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2026

G.S.R. 882(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles .... Amendment) Rules, 2026.

2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on 01st October 2026.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein referred to as principal rules), in rule 115, after sub-rule (22), a new sub-rule shall be inserted namely;

23 (ii) The emission standards for Bharat Stage VII (BS-VII) for category M2, M3, N2 and N3 vehicles

TABLE 1: The emission standards for Bharat Stage VII (BS-VII) for category M2, M3, N2 and N3 vehicles, manufactured on or after 1st April 2031 for all models

	Pollutant emissions	WHSC (CI) and WHTC (CI and PI)	Real Driving Emissions (RDE)
		per kWh	per kWh
	(1)	(2)	(3)
(1)	Oxides of Nitrogen, NOx in mg	200	260
(2)	Particulate Matter, PM in mg	8	—
(3)	Particulate Number, PN10 in #	6x1011	9 x 1011
(4)	Carbon Monoxide, CO in mg	1500	1950
(5)	Non-Methane Organic Gas, NMOG in mg	80	105
(6)	Ammonia, NH_3 in mg	60	85
(7)	Methane, CH_4 in mg	500	650
(8)	Nitrous oxide, N_2O in mg	200	260
(9)	Formaldehyde, HCHO in mg	Reserved	Reserved

PI - positive ignition ; CI - compression ignition ; WHSC- World Harmonized Stationary Cycle; WHTC- World Harmonized Transient Cycle

Table 2: Test Applicability Dates

Applicability date	Application of test requirements during TA, COP and ISC				brake particle emission limits	Minimum performance requirements (MPR) for battery durability	Tyre e mission limit
	Gaseous pollutants and PN in road testing	Gaseous pollutants, PM, PN and CO2 emissions, fuel consumption (WHTC and WHSC)	OBD+OBM+OBFCM	EVP			
1st April 2031 **(Phase-I)**	✓	✓	✓ OBD+ OBM-I(On OBD port only)+OBFCM-I (On OBD port only)	✓	--	--	--
1st April 2033 **(Phase-II)**	✓	✓	✓ OBM-II (over the air)+OBFCM-II (over the air)	✓	✓ PM and PN limit based on power train	✓	--
1st April 2035 **(Phase-III)**	✓	✓	✓	✓	✓ PM and PN limit single limit for all power train	✓	✓

TA-Type Approval**; COP-**Conformity of Production**; ISC-** In-Service Conformity**; OBD-**On-Board Diagnostics**; OBM-**On-Board Monitoring**; OBFCM-** On-Board Fuel Consumption Monitoring**; EVP-** Environment Vehicle Passport**;**

TABLE 3A: Application of test requirements and declarations for type-approval and extensions to type-approval for vehicles of categories M2, M3, N2 and N3

Test requirements	Tests and requirements for emission type-approval	Tests at conformity of production	Tests at in-service conformity
Gaseous pollutants and PN in road testing (RDE) for each fuel and for the applicable vehicle categories (M2, M3, N2 and N3)	Required demonstration tests for all fuels for which the type-approval is to be granted per vehicle type and a declaration of compliance for all fuels, all payloads and all applicable vehicle categories (**)	Not required	Required (***)

Gaseous pollutants, PM, PN and CO_2 emissions, fuel consumption (WHTC and WHSC)	Required on the parent engine of the engine family and declaration for all family members (*); (**)	Required on an engine of the engine family (**)	Not required
CO_2 emissions, fuel and electric energy consumption, zero-emissions and electric range determination of a vehicle****	Issue license to operate the Energy Efficiency Tool simulation tool; issue component certificates	For components	Not required
Verification testing procedure	Not required	Required	Not required
Crankcase emissions	Check installation of closed crankcase system or routing to the tailpipe	Check installation of closed crankcase system or routing to the tailpipe	Not required
Durability of emission control systems	Declaration	Not required	Required
Operation of systems using a consumable reagent and pollution control systems	Required	Not required	Not Required
Battery durability	Declaration	Not required	Required
Power determination	Required (**)	Required (**)	Not required
On-board diagnostics (OBD family level)	Demonstration-	Not required	Not required
On-board monitoring (OBM family level)	Declaration and Demonstration	Not required	Required
OBFCM (on-board measurement of fuel and electric energy consumption, as well as payload)	Required	Required	Required
Anti-tampering, security and cybersecurity	Declaration and documentation (**)	Not required	Not required
Geofencing technologies (where applicable)	Declaration and Demonstration	Not required	Not required

(*) Supported by data of engine testing of all power ratings.

(**) In the case of a vehicle with an emission type-approved engine system, the engine manufacturer is responsible for demonstrating compliance of the vehicle in this test (the engine is type-approved as a separate technical unit).

(***) In the case of a vehicle with an emissions type-approved engine system, the engine manufacturer is responsible for demonstrating compliance of the vehicle in this test when agreed with the vehicle manufacturer.

(****) Provisions for CO2 and Fuel consumption using simulation tool shall be notified separately.

Declaration, documentation and demonstration requirements shall be detailed in the applicable AIS-215 as amended from time to time

TABLE 3B: APPLICABILITY OF TEST REQUIREMENTS FOR TYPE-APPROVAL

	Positive Ignition Engines								**Compression Ignition Engines**				**Dual Fuel Engines**	Pure electric v ehicles	Hydrogen fuel cell vehicles
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Reference Fuel	**Mono-fuel**						**Flex-fuel**	**Flex-fuel**	**Mono fuel**			**Flex fuel**		—	Hydrogen (Fuel Cell)
	Gasoline (E10)/ (E20) [6]	**-Ethanol (E100)/ Methanol M100**	**LPG**	**CNG/Bio-Methane/ BioGas/ LNG**	**Hydrogen (ICE)**	**HCNG (Hydrogen +CNG)**	**Ethanol (E20)** **(E85)/** (E100)	**Methanol (M15)** **(M85)/** (M100)	**Diesel (B7)**	**BioDiesel 100 %**	**Ethanol (ED 95)**	**Bio-Diesel (B7)** **(B100)** [1]	**Diesel (B7) + (CNG/ LNG)** [2]		
Gaseous pollutant	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Both fuels)	Yes (Both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes [2]	--	--
Particulate Mass	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Both fuels)	Yes (Both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes [2]	--	--
PM Number	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Both fuels)	Yes (Both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes [2]	--	--
Idle emission	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	--	--
Crankcase Emissions	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	--	--

In-Service Conformity	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Both Fuels)	Yes (Both Fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (B 7 only)	Yes [2]	--	--
OBD	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes [2]	--	--
CO2 Emission and electric energy consumption, zero emission and electric range determination of vehicles	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RDE Demonstration for gaseous and PN10	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes [2]		
Engine /motor Power	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
OBM	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	--	--
OBFCM (on-board fuel consumption an d electric consumption, as well as payload)	Yes	Yes	--	--	--	--	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	--	Yes	yes
Battery Durability	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Yes	Yes
Off Cycle Emissions (WNTE)	---	---	---	---	---	---	---	---	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes [2]	--	--

Explanatory Notes to superscripts-

1. The vehicles or engines fuelled with bio diesel blends up to 7 per cent. shall be tested with reference diesel (B7) and vehicles fuelled with bio diesel blends above 7 per cent. shall be tested with respective blends.
2. The test applicability requirements for dual fuel engine is depending on the Gas Energy Ratio (GER) measured over the hot part of the World Harmonised Transient Cycle (WHTC) test-cycle. GER classification shall be as per AIS: 215 PART 2 as amended from time to time.

TABLE 4: Brake Particle Emission Limits for vehicles of categories M_2, N_2, M_3 and N_3 manufactured on or after 1st April 2033

Emission limits	**Vehicles of categories M2 and N2, M3 and N3**				
Powertrain technology	PEV	OVC-HEV	NOVC-HEV	FCV/FCHV	ICEV
Brake particle emissions (PM10)	*	*	*	*	*
Brake particle number emissions (PN)	*	*	*	*	*

*Brake Particle Emission Limits Particulate Mass (PM10) and Particle Number (PN) shall be notified separately

TABLE 5: Applicability of test requirements for type-approval of brake systems

Test requirements	**Tests and requirements for emission type-approval**	**Tests at conformity of production**	**Tests at in-service conformity**
	Test Agency	Test Agency	Test Agency
Brake system emissions test on brake cycle	Required	Audit /optional testing	Not required

TABLE 6: Minimum performance requirements (MPR) for battery durability for vehicles of categories M_2, M_3, N_2 and N_3 manufactured on or after 1st April 2033

Battery Energy based MPR	Vehicles in main lifetime (**)	Vehicles in additional lifetime (**)
OVC-HEV	*	*
PEV	*	*

(*) Minimum performance requirements (MPR) for battery durability shall be notified separately

(**) As specified in TABLE 11.

TABLE 7: Brake Particle Emission Limits for M2, N2, M3 and N3 categories of vehicles manufactured on or after 1st April 2035 for all models

Emission limits	Vehicles of categories M2 and M3	Vehicles of categories N2 and N3
Brake particle emissions (PM10)	*	*
Brake particle number emissions (PN)	*	*

* Brake Particle Emission Limits Particulate Mass (PM10) and Particle Number (PN) shall be notified separately

TABLE 8: Tyre abrasion limits for C2 and C3 Tyres for vehicle categories of M2, N2, M3 and N3 manufactured on or after 1st April 2035

Tyre abrasion limits	C2 tyres	C3 tyres
Normal tyres	*	*

* Tyre abrasion Limits shall be notified separately

TABLE 9: Applicability of test requirements for type-approval of C2 and C3 Tyres

Test requirements	Tests and requirements for type-approval	Tests at conformity of production	Tests at in-service conformity
Tyre abrasion testing	*	*	*

* Test Applicability requirements for Type Approval C2 and C3 tyres shall be notified separately

NOTES:

1. The vehicles shall be designed, constructed and assembled in such a way as to minimise vulnerabilities, arising in all phases of their life-cycle, that may lead to tampering with Fuel& reagent injection system, engine & engine control unit, traction batteries & related management systems, Odometer, pollution control devices, electric motor & related control units, OBFCM devices, OBD system, OBM systems and EVP.
2. Test procedure for testing compliance of vehicles of categories M2, M3, N2, N3 with exhaust emission limits with reference fuels and lubricant (within the specifications issued by the manufacturer) shall be as under
    a. Exhaust emission tests shall be conducted using the WHSC and WHTC for compression ignition engine and only on WHTC for positive ignition engine as per procedure laid down in AIS-215-Part 2 as amended from time to time.
    b. For RDE tests conducted on the road, the test procedure shall be as per AIS-215-Part 2 as amended from time to time. The applicable limits shall be the RDE limits in TABLE1.
3. Application of test requirements for type approval, conformity of production and In-service compliance for manufacture and Test Agency shall be as per Table 3 and shall be as per the procedure laid down in AIS-215-Part 2 as amended from time to time.
4. Manufacturers may get approval of the vehicles as 'BS -VII-G' vehicles where those vehicles are equipped with internal combustion engines with Geofencing Technologies. The application of such Geofencing Technologies shall be demonstrated to the approval agency during type- approval and verified during the lifetime of the vehicle as per the procedure laid down in AIS-215-PART 2as amended from time to time.
5. There shall be no relaxation of norms for Conformity of Production (CoP) purpose and procedure for compliance shall be as per AIS-215 Part 6 as amended from time to time.

6. The Conformity of Production (CoP) frequency and samples shall be as under: -

   (i) The conformity of Production period for each engine model including its variants shall be once a year.
   (ii) Where production volume in six months is less than 250 per model including its variant(s), the provisions contained in AIS 215 Part-6 shall apply.

7. The limits as mentioned in table 1 shall be applicable for vehicles driven by any of the following fuels:

   - Monofuel CNG, Bio-CNG/Bio-Methane, Bio-Gas, LNG, LPG, HCNG, Diesel (B7), Gasoline E20, Ethanol monofuel, hydrogen, Methanol Monofuel
   - Flex fuel vehicles driven with E20 to E85, M15 to M85/M100, Ethanol (ED95), Bio-diesel blends up to 100%,.
   - Dual fuelled engines driven by Diesel and any fuel out of CNG, Bio-Gas, Bio-CNG/Bio-Methane or LNG.
   - Bi-fuel engines driven by petrol and any other fuel out of CNG/Bio-CNG/Bio-Methane/Bio-Gas/LNG/LPG.

   For type approval and conformity of production, the test fuel shall be reference fuel or commercial fuel as specified below

8. Specifications for Reference fuels are as below: -

a. Reference natural gas, fuel used in Natural Gas or Bio-Methane mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-L (G20, G23 and G25)
b. Reference LPG fuel used in LPG mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV M (Fuel A and Fuel B). However, in case of non-availability of reference fuels for CNG / LPG, the commercially available CNG as per BIS 15958:2012 and LPG as per BIS 14861:2000 as amended from time to time shall be used for the purpose of Type Approval and Conformity of Production.
c. The reference ethanol fuel (ED95) shall be as specified in Annexure IV-R
d. The reference Diesel fuel (B7) shall be as specified in Annexure IV-T
e. The reference fuel Biogas (Bio-Methane) shall be as per IS 16087:2020 and as amended time to time.
f. Reference Fuel shall be 'Hydrogen for BS-VII Positive Ignition Engine' as specified in Annexure IV-W.
g. The reference fuel Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time.
h. The reference E20 fuel (20 percent of Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 17943: 2022 and as amended from time to time by BIS.
i. The reference E85 fuel (85 percent of Ethanol in Gasoline) shall be as per the Annexure IV-Q." (Standard number will be created and specified by BIS).
j. The reference B100 fuel shall be as per Annexure IV-S and as amended from time to time." (Standard number will be created and specified by BIS).
k. In case of vehicles powered by Ethanol as a mono-fuel, the commercially available ethanol fuel as per IS17821:2022 as amended from time to time shall be used for the purpose of Type approval and Conformity of Production.
l. The Reference fuel specifications for Methanol powered vehicles shall be as per Annexure IV-Y, Annexure IV-Z, Annexure IV-ZA and Annexure IV-ZB as applicable.

9. Specifications for Commercial fuels shall be as under: -
   a. The Commercial Gasoline fuel shall be as per Annexure IV-U and as amended from time to time.
   b. Specifications for commercial CNG and commercial LPG shall be in accordance with BIS 15958:2012 and as per BIS 14861:2000 respectively and as amended from time to time.
   c. Biodiesel used in commercial Diesel shall be as per IS 15607 as amended from time to time.
   d. Specifications for commercial Diesel fuel up to 7% of bio diesel blend shall be as per Annexure IV-V and as amended from time to time.
   e. Specifications for commercial ED95 shall be as specified in accordance with the Indian Standards as amended from time to time by BIS. Till such time, fuel meeting specifications as per Annexure-IV R may be used.
   f. Specifications for commercial Biogas (Bio-Methane) shall be as per IS 16087:2013 and as amended from time to time.

g. Specifications for commercial Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time.
h. Specification for commercial fuel E20 (20 percent of Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 17021: 2018, and as amended time to time by BIS."
i. Specification for commercial Ethanol fuel E85 (85 percent of Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 16634:2017 and as amended time to time by BIS."
j. Specification for commercial ethanol mono-fuel shall be as per IS 17821:2022 and as amended time to time.
k. The commercial Hydrogen fuel specifications shall be as per IS 16061: 2021 as amended by BIS from time to time
l. The commercial fuel specifications for Methanol to be used for blending shall be as per IS 17075: 2019 as amended from time to time.
m. The commercial fuel specifications for M15 fuel shall be as per IS 17076 : 2019

10. The engine power shall be measured on engine dynamometer and the measured power shall conform to the specified power when tested as per procedures prescribed in AIS-215-PART 5 as amended from time to time
11. Idle emissions and particle number requirements shall be as under: -
    a. The vehicle equipped with PI engine specified in this sub-rule shall comply with following limits

TABLE 10: Idle Emission Limits for PI Engines

Sr.	Type of Vehicle	Idle Emission Limits		High Idle Emission Limits (RPM 2500+/- 200)	
		CO%	HC (n-Hexane equivalent) ppm		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PI Engines of Categories M and N other than gasoline	0.3	200	-	-
2	PI Engines of Categories M and N with gasoline	0.3	200	0.2	1+/-0.03 or as declared by manufacturer

b. In the case of vehicles equipped with a Compression Ignition (CI) engine and fitted with a particulate filter, the particulate number concentration (in $\#/cm^3$) shall be measured at idle in accordance with the procedure specified in AIS-215 (Part 8), as amended from time to time. The measured particulate number concentration shall not exceed 1.0×10^6 particles/cm^3

10. Deterioration Factors
    b. The vehicle manufacturers shall evaluate the deterioration factors for different pollutants over the lifetime of vehicle period as per procedure described in AIS-215-PART 2 as amended time to time
    c. Alternatively, Manufacturer's may opt for Fixed Deterioration factors as specified in the AIS-215-PART 2 as amended from time to time:
11. The vehicles specified in this sub-rule, the In-service conformity shall be checked for the lifetime of the vehicle. Lifetime requirement of the vehicles shall be as given the Table below:

TABLE 11: Lifetime of vehicles, engines and pollution control systems

Lifetime of vehicles, engines and replacement pollution control devices	M2	N2, N3≤16 t (*), M3≤7.5 t (*)	N3>16 t (*), M3>7.5 t (*)
Main lifetime	Up to 160 000 km or 8 years, whichever comes first	300 000 km or 8 years, whichever comes first	700 000 km or 12 years, whichever comes first
Additional lifetime	After main lifetime and up to 200 000 km or 10 years, whichever comes first	After main lifetime and up to 375 000 km or 10 years, whichever comes first	After main lifetime and up to 875 000 km or 15 years, whichever comes first
Durability multiplier for additional lifetime	1.2 for gaseous pollutants	**	**

(*) GVW.

(**) Durability multiplier for additional lifetime shall be notified separately

14. PEMS testing during Type Approval and ISC

a. During type approval, RDE emission measurement on vehicles using PEMS shall be carried out on road as per the procedure laid down in AIS-215-PART 2 as amended from time to time.

b. The type approval vehicle used for the RDE PEMS deterioration test shall be representative for the vehicle category intended for the installation of the engine system. The vehicle may be a prototype vehicle or an adapted production vehicle.

c. For RDE PEMS demonstration test at type approval, the applicable limits shall be the RDE limits in TABLE1

d. In-service compliance shall be carried out over the lifetime of vehicle as per procedure laid down in AIS-215-PART 2 as amended from time to time. The applicable limits shall be the RDE limits in TABLE1 for main lifetime and for additional lifetime, durability multiplier for additional lifetime mentioned in Table 11 is applicable.

15. The vehicles specified in this sub-clause shall comply with the Off-Cycle laboratory testing as per procedure laid down in AIS-215-PART 2 as amended time to time.

16. The vehicles specified in this sub-clause fitted with engine, which rely on the use of a reagent in order to reduce emissions, shall ensure the correct operation of reagent system, as procedure laid down in AIS-215-PART 2 as amended from time to time. Specification of NOx reduction reagent AUS-32 (Aqueous Urea Solution) shall confirm to Part 1 and Part 2 of ISO 22241-2006 or DIN V 70070 or IS:17042: Part1 and Part 2: 2020.

17. The vehicles specified in this sub-rule shall be equipped with an On-Board Diagnostic system, for emission control which shall have the capability of identifying the likely area of the malfunctions by means of fault codes stored in computer memory and communicating that information off-board, as per procedure described in AIS-215-PART 2 (as amended from time to time).

18. The vehicles specified in this sub-rule shall be equipped with an On-Board Monitoring system (OBM), capable of monitoring and registering all exhaust emissions of NO_x, NH_3 and PM and detecting exceedances of at least 2.5 times the relevant exhaust emission limit. The OBM data shall be available on OBD port for vehicle manufactured on or after 1st April 2031. The OBM data shall be available on OBD port and anonymously over the air for vehicle manufactured on or after 1st April 2033. Demonstration of OBM shall be done at the time of Type approval as per procedure laid down in AIS-215-PART 2 (as amended from time to time).

19. The vehicles specified in this sub-rule shall be equipped with an On-Board Fuel and electric energy Consumption Monitoring (OBFCM), capable of monitoring their real-world fuel and electric energy consumption and other relevant parameters, which are needed to determine their real-world fuel and energy efficiency. The OBM data shall be available on OBFCM port for vehicle manufactured on or after 1st April 2031. The OBFCM data shall be available on OBD port and anonymously over the air for vehicle manufactured on or after 1st April 2033. Demonstration of OBFCM shall be done at the time of Type approval as per procedure laid down in AIS-215-PART 2(as amended from time to time).

20. For the vehicles specified in this sub-rule an Environmental Vehicle Passport (EVP) shall be made available to vehicle users along with certificate of conformity and the type-approval documentation. Vehicle users shall also have access to up-to-date information about fuel consumption, the state of health of traction batteries, pollutant emissions and other relevant information generated by on-board systems and monitors. Provisions shall be made for in- vehicle display of EVP.

21. Test procedure for testing compliance with brake particle emission limits shall be according to the AIS-215-PART 4 on brake emissions as amended from time to time.

22. Test procedure for testing compliance with Tyre abrasion limits shall be according to the AIS-215-PART 8 as amended from time to time.

23. Requirements for Minimum Performance Requirements (MPR) for Battery Durability shall be as per AIS-215-PART 10 as amended from time to time.

24. The CNG/Bio-Methane/HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable and as amended from time to time.

25. IC engine Vehicles fuelled with Hydrogen fuel, shall meet the safety requirements as per AIS 195 as amended from time to time.

26. The compatibility of vehicle to the level of Ethanol Fuel more than 20% shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by a clearly visible label as per AIS-171:2021 as amended from time to time.

27. Anti-tampering and security requirements shall be as per AIS-215-PART 2 as amended from time to time.
28. Cyber security and On the air security requirements shall be as notified by CMVR from time to time.

[F. No. RT-11036/26/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020, and lastly amended vide Notification number …….. Dated………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA